

पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

वीरपुर



ग्राम पंचायत - वीरपुर

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - वीरपुर गाँव वीरेंद्र सिंह जी राजपूत ने बसाया था। उन्हीं के नाम पर गाँव का नाम वीरपुर पड़ गया। वीरेंद्र सिंह जी राजपूत जी के आदेशानुसार गाँव बसाते समय कटारा, भगोरा, खराड़ी, खोखरिया आदि उपजाति के परिवार के लोग रहने आए थे। शुरुआत में मात्र छः-सात परिवार ही गाँव में रहने के लिए आए थे। धीरे-धीरे अन्य लोग भी आते गये। वर्तमान में आदिवासियों के अतिरिक्त गाँव में वादी और कलाल परिवार के लोग भी रहते हैं। गाँव के बीच में अंबे माता का मंदिर है।

गाँव का एक परिचय - वीरपुर गाँव जिला मुख्यालय इंगरपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। जिसकी ग्राम पंचायत वीरपुर और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गाँव में कुल घरों की संख्या लगभग 950 है और आबादी लगभग 2500 है। गाँव में छः घर अनुसूचित जाति(एस.सी.) और चार घर अन्य पिछड़ा वर्ग(ओ.बी.सी.) के हैं। बाकी सभी लोग अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के हैं। गाँव का कुल रकबा 600 हेक्टेयर है, जिसमें से 300 हेक्टेयर जमीन पर खेती की जाती है। गाँव के सभी घरों में बिजली की सुविधा है। पोस्ट ऑफिस, सरकारी राशन की दुकान तथा उप-स्वास्थ्य केंद्र गाँव में ही है। गाँव का निकटतम बाजार मेवाड़ा है, जहाँ कुछ दुकानें हैं। वहाँ से रोजमर्रा का घरेलू सामान खरीदते हैं। सामान्यतया मेवाड़ा से लोग पैदल ही गाँव आते-जाते हैं। गाँव में छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं और ज्यादातर जमीन पथरीली है। कृषि में धान, गेहूँ, मक्का, उड़द, अरहर, चना तथा कपास का उत्पादन होता है। जिनके पास सिंचाई का साधन है, वह धान, गेहूँ और कपास भी पैदा करते हैं। जिन परिवारों में धान और गेहूँ पैदा होता है, उनके यहाँ लगभग 6 महीने खाने का अनाज हो जाता है। बाकी लोगों के पास दो से चार महीने ही खाने भर का अनाज पैदा होता है। बाकी समय अनाज बाज़ार से खरीद कर खाना पड़ता है। इसके लिए लोगों को रोज काम की जरूरत पड़ती है, लेकिन गाँव में मनरेगा के अलावा दूसरा काम करने का कोई साधन नहीं है। मनरेगा में भी साल में 60-70 दिन ही काम मिलता है और मजदूरी भी 80-90 रु ही मिलती है। मनरेगा से लोगों के परिवार का भरण-पोषण सम्भव नहीं है, इसलिए लोग निकट के बाजारों में काम की तलाश में रोज सुबह निकलते हैं और शाम तक वापस घर आ जाते हैं। वहाँ भी उनको रोज काम नहीं मिलता है। गाँव में तथा निकट बाजारों में लगातार काम नहीं मिलने से लोग गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में काम की तलाश में जाते हैं, जहाँ दैनिक मजदूरी कर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण कर पाते हैं। पेसा कानून के तहत गाँव में गाँव सभा का गठन दिनांक 12 अगस्त 2017 को हुआ। गाँव सभा गठन के बाद दिनांक 25 नवम्बर 2017 को शिलालेख हुआ। गाँव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है और पेसा कानून में मिले अधिकारों के लिए लोगों में कुछ जागरूकता भी है। मगर पेसा कानून के अधिकारों को लागू करने के लिए अभी गाँव सभा अभी उतनी सशक्त नहीं है, जितनी जरूरत है। इसके लिए प्रयास जारी है। गाँव में चार फले हैं - वीरपुर, मोटी इंगरी फला, धनेती फला, अदुनी खेड़ा फला है। गाँव के आदिवासियों में कटारा, तबीयाड, रोट, भगोरा, कलासुआ, अहारी, बरंडा, गरासिया, डामोर, भराड़ा, आमलिया, गमेती और खराड़ी उपजातियाँ हैं।

आदिवासियों के अतिरिक्त गाँव में वादी और कलाल परिवार के लोग भी रहते हैं। गाँव का निकटतम पुलिस थाना राम सागड़ा में है, जो गाँव से करीब 20 किलोमीटर दूर है।

आवागमन की स्थिति - वीरपुर गाँव जाने के लिए डूंगरपुर से बस और जीप मिलती है, जो हिम्मतपुर तक जाती है। हिम्मतपुर से पहले मेवाड़ा बस स्टैंड पर उतर कर वहाँ से पैदल गाँव तक जाते हैं, जो मेवाड़ा बस स्टैंड से तीन किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है। गाँव तक जाने के लिए मेवाड़ा से एक पक्की सड़क है, जो गाँव से होते हुए शरम पंचायत के विभिन्न गाँवों तक जाती है। इस सड़क पर आवागमन के साधन के रूप में टेम्पो चलते हैं, वे कई-कई घंटे बाद पूरी सवारी होने पर ही चलते हैं। इसलिए लोग अक्सर पैदल ही गाँव जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। उप-स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेवाड़ा में है, जो गाँव से तीन किलोमीटर दूर है। मरीजों को अपने साधन से लोग इलाज के लिए लेकर जाते हैं। गम्भीर मरीजों को गुजरात या डूंगरपुर इलाज के लिए ले जाते हैं। वहाँ भी अपने साधन से ही लेकर जाना पड़ता है। बच्चों को पढ़ने के लिए तीन सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं। तीनों विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र तीन-तीन अध्यापक हैं। गाँव में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें कुल लगभग 550 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यापकों की संख्या 15 है। स्नातक की शिक्षा के लिए 45 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में पाँच आंगनवाड़ियाँ भी हैं, जिसमें तीन से पाँच वर्ष के बच्चे जाते हैं। वीरपुर गाँव में दो निजी विद्यालय भी हैं। निजी विद्यालयों में भी छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम ही हैं। लेकिन गाँव वालों का ऐसा मानना है कि सरकारी से निजी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी हो रही है। लेकिन निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपने कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - गाँव के लोगों को कहीं आने-जाने के लिए लगभग तीन से पाँच किलोमीटर दूर मेवाड़ा से बस और टेम्पो आदि मिलते हैं। वहाँ तक लोगों को सामान्यता पैदल ही जाना पड़ता है। गाँव के फलों तक जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं, जो मरम्मत के अभाव में टूट-फूट गए हैं। इन रास्तों से लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए पगडंडिया है, जहाँ केवल पैदल ही जाया जा सकता है। चार पहिया वाहन वहाँ नहीं पहुँच सकते। रास्ते के संकट के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचाने में होती है। बीमारों को चारपाई या झोली में डाल कर सड़क तक लाना पड़ता है। सड़क से निजी साधन द्वारा अस्पताल ले जाते हैं। गाँव में कुल चार पक्की सड़क और तीन सी.सी. सड़क है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव का पूरा रकबा 600 हेक्टेयर है। गाँव की करीब 300 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। बाकी जमीन बेनामी और चारागाह है। गाँव में जंगल की जमीन नहीं है। खेती की जमीन पथरीली, ऊबड़-खाबड़ और अधिकतर असमतल ज्यादा। कुछ ही जमीन समतल है, जिस पर गेहूँ, धान और कपास पैदा की जाती है। बाकी जमीन असिंचित है और उसमें केवल बरसात में होने वाली फसल मक्का, उड़द, अरहर पैदा होती है। गाँव की सीमा से सटी हुई एक नदी बहती है, जिसका

नाम माजम नदी है। नदी के अतिरिक्त गाँव में लगभग 150 कुँए, 95 हैंडपंप, 4 तालाब, 8 नाले हैं। नालों पर कुल 5 एनिकट बने हुए हैं। जिनमें से दो की मरम्मत जरूरी है। पानी के इतने स्रोत होने के बाद भी गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। तालाब गर्मी आने से पहले ही सूख जाते हैं। नाले और नदी में केवल बरसात में ही पानी रहता है। बोरवेल से पानी के दोहन के कारण गर्मियों में भू-जलस्तर नीचे चले जाने से अधिकतर कुएँ सूख जाते हैं और हैंडपंप पानी छोड़ देते हैं। गाँव के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जैसे-जैसे जलस्तर नीचे जाता है, वैसे-वैसे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जाती है। गर्मियों में किसी भी प्रकार का कृषि उत्पाद नहीं होता है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिलता है। बरसात के पानी को रोकने की अभी तक कोई योजना नहीं है।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव के लोग खेती में धान, गेहूँ, चना, मक्का, उड़द, अरहर, तिल और कपास पैदा करते हैं। गाँव की ज्यादातर जमीन असमतल, पथरीली और असिंचित है। कुछ ही जमीन सिंचित है। सिंचित जमीन पर धान, गेहूँ और कपास पैदा होता है। सिंचाई की व्यवस्था के लिए लोगों ने निजी बोरवेल लगा रखे हैं। जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था है, उन्हीं के पास छः से आठ महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है। जिन लोगों की खेती बरसात पर निर्भर है, उनको दो से चार महीने ही खाने भर का अनाज होता है। बाकी समय बाजार से खरीद कर खाना पड़ता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूँ मिलता है, जो परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कृषि में पूरे वर्ष तक खाने का अनाज नहीं होने के कारण लोगों को काम की तलाश में गाँव से बाहर जाना पड़ता है। गाँव में मनरेगा में मिलने वाला काम भी साल में 60-70 दिन ही मिलता है, और मजदूरी भी 100 रु से कम ही मिलती है। मनरेगा से परिवार की परवरिश कर पाना सम्भव नहीं है। इसलिए जो लोग गाँव में रहते हैं, वही लोग मनरेगा में काम करते हैं। मनरेगा में लगभग 70% महिलाएँ ही काम करती हैं। गाँव में 30 लोग विभिन्न सरकारी विभागों में काम करते हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव के लोग गाय, भैंस, बैल और बकरी पालते हैं। खेती में उत्पादन नहीं होने से चारे की भी कमी रहती है। गाँव के लोगों को चारा 4 महीने ही उपलब्ध रहता है। बाकी समय खरीद कर खिलाना पड़ता है। गाँव के चारागाह की जमीन 50 बीघा है, लेकिन उसमें भी कुछ पर गाँव के लोगों का कब्जा है। बाकी खाली चारागाह में केवल बरसात में ही चारा मिलता है। चारे की कमी के कारण पशुओं की स्थिति गर्मियों में दयनीय हो जाती है। पशु बेहद कमजोर हो जाते हैं और दूध भी देना बन्द कर देते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी ही आजीविका के साधन हैं। खेती की जमीन सभी के पास न तो पर्याप्त है और न ही उपजाऊ है। किसी तरह से साल में मात्र दो से छः महीने खाने भर का अनाज ही लोग पैदा कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जमीन असिंचित है। मात्र बरसात में पैदा होने वाली फसल का ही उत्पादन होता है। कृषि के अलावा मनरेगा में काम भी वर्ष भर में मात्र 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 100 रु से कम मिलती है। गाँव में रोजगार का अन्य कोई साधन नहीं होने से लोगों को गाँव से बाहर काम की तलाश में जाना पड़ता है। कुछ लोग निकट के शहर में काम की तलाश में रोज सुबह निकलते हैं और शाम को वापस घर आ जाते हैं। वहाँ भी महीने में

ज्यादा से ज्यादा 20 दिन ही काम मिलता है। इसलिए गाँव के युवा गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में काम के लिए जाते हैं। वहाँ दैनिक मजदूरी पर काम कर किसी तरह से परिवार की परवरिश करते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
भूमि	वीरपुर गाँव की कृषि भूमि असमतल है। कुछ टेकरी वाली है। गाँव की कुछ ही जमीन समतल और खेती लायक है। गाँव के चारागाह का परकोटा नहीं है। चारागाह की कुछ भूमि पर घास उगती है। चारागाह की कुछ भूमि पर लोगों का कब्जा है।	गाँव सभा का प्रस्ताव लेकर भूमि समतल करवाएंगे। आगे की योजना के अंतर्गत मेडबंदी और तालाब की मिट्टी खेतों में डलवाना है। खेतों को उपजाऊ बनाने की जरूरत है। इसके लिए तालाबों की मिट्टी खेत में डालने की योजना और देसी खाद का उपयोग करने की योजना है। गाँव के चारागाह में घास उगती है। वहाँ चारा कम ही होता है। गाँव के चारागाह पर वृक्षारोपण और परकोटा निर्माण करवाना है।
जल नदी तालाब नाले एनिकट हैण्डपम्प बोरवेल कुँए	गाँव के पास में माजम नदी बहती है, परंतु उसके पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। गाँव में नाले हैं, लेकिन नालों का पानी भी बरसात के बाद ही सूख जाता है। गाँव में तालाब हैं, परंतु दीपावली तक ही तालाबों में पानी रहता है। फिर तालाब का पानी भी खत्म हो जाता है। गाँव में कुछ कुँए हैं, जो सूख चुके हैं और कुछ कुओं में पानी है। गाँव में हैंडपंप हैं, लेकिन करीब करीब आधे में पानी है और आधे सूख चुके हैं। गाँव के बोरवेल में भी पानी का स्तर कम हो गया है।	वर्षा जल संरक्षण करना। नदी पर एनिकट बनाकर पानी रोक कर काम में ले सकते हैं। सामूहिक कुएं बनवा सकते हैं। गाँव के नालों पर एनिकट बनवाकर सिंचाई की जा सकती है। खेत तलावडी बनवाना, कच्चे-पक्के चेक डैम बना सकते हैं। तालाब को गहरा करवाना है। कुओं को गहरा करवाकर और हैंडपंप को ढाई सौ से तीन सौ सीट फीट गहरा करवाना। नए हैंडपंप लगाना। नदी, नाले, एनिकट और तालाब का पानी रोक कर सिंचाई की जा सकती है।
मकान	गाँव में कच्चे मकान हैं और कुछ पक्के मकान हैं। गाँव के करीब 25% लोगों के आवास बनना बाकी है।	आवास योजनाओं में जरूरतमंद लोगों के मकान बनवाना।

पशु बाड़ा	गाँव के कई लोगों का पशुबाड़ा नहीं बना है।	योजनाओं में जरूरतमंदों के यहाँ पशुबाड़ा बनवाना।
सामुदायिक भवन	गाँव में सामुदायिक भवन है। भवन की हालत ठीक है, लेकिन शौचालय और पानी की समस्या रहती है।	शौचालय बनवाना और हैंडपंप लगवाना।
कृषि भवन	गाँव में कृषि भवन है जो गाँव के बीच में है। लेकिन शौचालय और पानी की समस्या रहती है।	शौचालय बनवाना और हैंडपंप लगवाना।
पोस्ट ऑफिस	गाँव में पोस्ट ऑफिस है, लेकिन भवन नहीं है।	भवन निर्माण।
मिनी बैंक	गाँव में एक मिनी बैंक है।	-
उचित मूल्य की दुकान	किराए के भवन में चल रही है।	सरकारी उचित मूल्य की दुकान के लिए कमरा बनवाना है।
बस स्टैंड	रोड बना हुआ है, लेकिन बस स्टैंड की सुविधा नहीं है।	यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैंड एवं छाया की व्यवस्था करना।
विद्यालय और आंगनबाड़ी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोती डूंगरी का परकोटा बाकी है। खेल के मैदान की समस्या है। पाँच में से मात्र एक आंगनवाड़ी का भवन है। आंगनवाड़ी केंद्र लोगों के घरों में चल रहे हैं।	भवन निर्माण, मरम्मत, परकोटा निर्माण, खेल मैदान समतलीकरण।
स्वास्थ्य केंद्र	स्वास्थ्य केंद्र पर शौचालय नहीं है।	स्वास्थ्य केंद्र पर शौचालय निर्माण करवाना है।
पटवार भवन	पंचायत भवन की दूसरी मंजिल पर पटवार भवन है, जो खाली पड़ा है।	-

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित एवं समाधान -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक / दीर्घकालिक
1	शिक्षा की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में पाँच आंगनवाड़ियाँ और तीन प्राथमिक विद्यालय तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। गाँव में तीन आंगनबाड़ियों के लिए भवन नहीं है। वे गाँव के लोगों के घरों में चलती हैं। तीन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 4 अध्यापक हैं और दो विद्यालयों में एक-एक अध्यापक है। एक विद्यालय में दो अध्यापक हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा पहली से बारहवीं तक है, उसमें मात्र 15 अध्यापक हैं। बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त कमरे भी नहीं हैं। शिक्षकों की कमी और पर्याप्त कमरे के अभाव में बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। गाँव के बच्चों को अपनी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है गरीबी और अरुचि के चलते भी बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। यह आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं में से एक बड़ी समस्या है। गाँव के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है, लेकिन बच्चे वही फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं और बाद में फ्लोरोसिस रोग के शिकार हो जाते हैं।	गाँव सभा का मजबूत होना। सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ एकजुटता। पंचायत की सभी गाँव सभाओं का एकजुट होकर शिक्षा विभाग में शिक्षा की समस्या समाधान के लिए ज्ञापन देना। शिक्षा के लिए गाँववासियों को जागरूक करना।	तात्कालिक
2	कृषि की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में धान, गेहूँ, चना, मक्का, उड़द, अरहर और कपास पैदा किया जाता है, लेकिन जमीन असमतल, पथरीली और असिंचित होने के	असमतल खेतों का समतलीकरण। तालाब और एनीकट की मरम्मत और गहरीकरण तथा	तात्कालिक

			<p>कारण उत्पादन बहुत ही कम होता है। साल भर में 3 से 6 महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है। लोगों के पास उन्नत खाद और बीज का अभाव होता है। सिंचाई की कोई व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा नहीं है। कुछ लोगों ने अपने निजी बोरवेल लगा रखे हैं। बाकी लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि बोरवेल लगा सकें। इसलिए उनकी खेती बरसात के भरोसे ही है। बरसात हुई तो ठीक, नहीं तो खेती से कुछ नहीं उगता है। गाँव में नाले, तालाब और नदी होते हुए भी जल संरक्षण योजना नहीं होने से बरसात का पानी बाहर निकल जाता है। जिससे बरसात के पानी का आगे के लिए कोई उपयोग नहीं हो पाता है।</p>	<p>एनीकट की ऊँचाई बढ़ाना। नदी पर बाँध बनाकर पानी को रोकना और सिंचाई के लिए लिफ्ट केनाल का निर्माण करना। उन्नतिशील खाद और बीज की उपलब्धता। खेती की मेड़बंदी। खेत तलावड़ी का निर्माण।</p>	
3	भूमि अधिकार पत्र नहीं मिलना	व्यक्तिगत/सार्वजनिक	<p>भूमि अधिकार पत्र नहीं मिलना आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास करने के बाद भी आज तक गाँव के लोगों को उनके अपने कब्जे की भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। सरकार और राजस्व विभाग और वन विभाग धीरे-धीरे इस अधिकार को छीन रहे हैं। वीरपुर के लोगों का भी यही हाल है। गाँव के लोगों को उनकी काबिज भूमि के पट्टे अभी तक नहीं मिले हैं। जबकि दावे की फाइल बहुत पहले से लगा रखी है। राजस्व विभाग ने उनके पट्टे की पेनल्टी लेना भी बंद कर दिया है। जिससे उनकी जमीन उनके हाथ से निकल</p>	<p>पेसा कानून के तहत गाँव सभा के गठन के बाद काबिज भूमि पर अधिकार पत्र लेने का प्रस्ताव गाँव सभा की बैठक में पारित किया गया है। प्रस्ताव की प्रतिलिपि पंचायत में जमा करके उसकी रसीद लेकर उसे BDO(ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) और CEO(चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) और जिला अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दी गई है। सभी गाँव के लोगों की जमीन की फाइल तैयार करा के गाँव सभा द्वारा</p>	दीर्घकालिक

			जाने का खतरा बढ़ गया है।	सामूहिक रूप से राजस्व विभाग में दावे का प्रस्ताव भी लिया गया है जिसके लिए गाँव के कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है।	
4	पेयजल की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में 150 कुँए और 95 हैंडपंप होने के बावजूद भी गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ जाता है। लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में भू-जलस्तर काफी नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएँ सूख जाते हैं और हैंडपंप पानी छोड़ देते (सूख जाते) हैं। अत्यधिक जल दोहन के कारण पूरा बिछीवाडा ब्लॉक डार्क जोन घोषित हो गया है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी योजना पंचायत द्वारा लागू नहीं की जा रही है और न ही जल संरक्षण विभाग द्वारा पानी की कमी को दूर करने का कुछ उपाय किया जा रहा है। गाँव वालों को पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है। गाँव के पानी में फ्लोराइड और आयरन पाया जाता है, जिसके कारण लोग पेट और हड्डियों के रोगों के शिकार हो रहे हैं।	बरसात के पानी को योजना बनाकर रोकना। जिससे गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके। बरसात के पानी को संरक्षित करके पीने लायक बनाना। आर.ओ. प्लांट लगाने के लिए आवेदन करना और उसके लिए प्रयास करना। यह सब करने के लिए गाँव सभा को सशक्त बनाना।	तात्कालिक
5	आवास शौचालय निर्माण और उसके भुगतान की समस्या	व्यक्तिगत/सार्वजनिक	गाँव में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके आवास का निर्माण होना बेहद जरूरी है, लेकिन पंचायत के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और भ्रष्टाचार के कारण उनके आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सरकारी फरमान के अनुसार जब तक लोग शौचालय	जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण करना। बकाया किस्तों का भुगतान करवाना। गाँव सभा का सशक्तिकरण करना। पंचायत में व्याप्त	तात्कालिक

		नहीं बना लेंगे, तब तक उनका राशन बंद कर दिया जाता है। शौचालय के निर्माण में लोग पहले अपने पैसे से बनवाते हैं। उसके बाद उनका पैसा पंचायत विभाग देता है। लेकिन शौचालय बना देने के बाद भी अभी तक कई लोगों का पैसा उनको वापस नहीं मिला है। यही हाल आवास का है। कई लोगों का आवास का बकाया किस्त का भुगतान रुका हुआ है।	भ्रष्टाचार को रोकना।	
--	--	--	----------------------	--

संसाधन आकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते पक्के रास्ते मनरेगा मजदूर	बस स्टैंड से गाँव जाने के लिए साधन का अभाव। टूटे रास्तों की सही समय पर मरम्मत न होना। फले में एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए सिर्फ पगडंडी का होना। पंचायत व मेट द्वारा रास्ता निर्माण में भ्रष्टाचार करना। रास्ता निर्माण के लिए लोगों द्वारा जमीन न देना।	मनरेगा के तहत नई कच्ची सड़कों का निर्माण और टूटी सड़कों की मरम्मत की जा सकती है। रास्ता निर्माण होने से आवागमन में सुविधा। बच्चे समय से विद्यालय और मरीज समय से अस्पताल पहुँचाये जा सकते हैं। एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए रास्ते के निर्माण किया जा सकता है। छोटे-मोटे उद्योग किये जा सकते हैं।	पंचायत व मेट द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर रोक। गाँव सभा को मजबूत करना। निगरानी समिति द्वारा सभी विकास कार्यों पर नजर रखना। गाँव सभा द्वारा कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
जल नदी	बारिश के पानी के संग्रह की किसी योजना का न	कुएं व तालाब का गहरीकरण किया जा	लोगों को जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना।

<p>कुआं एनिकट हैंडपंप बोरवेल नाला तालाब</p>	<p>होना। बोरवेल की अधिक संख्या और उनका अत्यधिक उपयोग होने से जल स्तर का लगातार नीचे जाना। पंचायत का जल संग्रहण के प्रति उदासीन होना।</p>	<p>सकता है। एनिकट की मरम्मत की जा सकती है। तालाब का निर्माण किया जा सकता है। बोरवेल पर नियंत्रण संबंधित नियम बनाना। कुएं व हैंडपंप में पानी रीचार्ज करना। बारिश के पानी को संग्रहित करने की योजना बनाकर उस पर कार्य किया जाये।</p>	<p>बोरवेल के प्रयोग को नियंत्रित करना। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना।</p>
<p>आजीविका संवर्धन कृषि पशुपालन सब्जी की खेती मछलीपालन चारागाह</p>	<p>कृषि भूमि का ऊबड़- खाबड़ होना। हाइब्रिड बीज का अधिक प्रयोग करना। रोजगार के अन्य साधनों के उपयोग की किसी योजना का न होना। चारागाह जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न होना। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना।</p>	<p>भूमि समतलीकरण व प्राकृतिक रूप से भूमि उपजाऊ बनाकर पुराने बीजों का उपयोग किया जाये। चारागाह की जमीन का विकास किया जाये। मनरेगा के तहत सामूहिक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा सकता है। एनिकट, तालाब में मछलीपालन किया जा सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी या मुर्गी, मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। सब्जी की खेती की जा सकती है। रोजगार के अन्य साधनों के लिए योजना बनाई</p>	<p>मनरेगा को उसके मूल रूप में लागू करवाना। चारागाह जमीन से अवैध कब्जा हटाना। लोगों को रोजगार के अन्य साधनों को विकसित करने के प्रति जागरूक करना।</p>

		जा सकती है।	
भूमि बिलानाम जमीन खाली जमीन	बिलानाम जमीन का अधिकार पत्र नहीं मिलना। खाली जमीन के उपयोग की किसी योजना का न होना।	बिलानाम जमीन पर काबिज लोगों को अधिकार पत्र मिल सकता है। खाली जमीन पर वृक्षारोपण की योजना बनाना और उस पर कार्य करना।	बिलानाम जमीन के अधिकार पत्र के लिए सामूहिक माँग उठाना। खाली जमीन पर मनरेगा के तहत कार्य कराना।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -



गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण -

प्रस्ताव सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	खेत तलावडी का प्रस्ताव	6
2	कच्चे और पक्के से चेक डैम	5
3	मिट्टी का कटाव रोकना और दीवार निर्माण	7
4	नए एनीकट निर्माण	4
5	नए हैंडपंप का प्रस्ताव	4
6	सौर ऊर्जा का प्रस्ताव	8
7	मेन नहर से धोरे निकालना	-
9	शिलालेख पर चबूतरा बनाना मोती डूंगरी वीरपुर	1
10	कच्ची सड़कों का निर्माण 1. लालजी कान्हा भाई कालू डामोर से होता हुआ मोती डूंगरी 2. बदा घन से कमा रोत होता हुआ कचरा धनजी रोत के घर के पास 3. अडूणी खेड़ा नाडा से किशोर मरता घर होता हुआ रमेश भाई मेन रोड तक	3
11	नई आंगनवाड़ी भवन का निर्माण 1. अडूणी खेड़ा मिनी आंगनवाड़ी 2. मोती डूंगरी मेन आंगनवाड़ी 3. असरी फला मिनी आंगनवाड़ी	3
12	भूमि समतलीकरण	24
13	मेड़बंदी	10
14	पशु बाड़ा	40

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

सूचना

दिनांक 18-4-2018

सेवा में

सरपंच ग्राम पंचायत वीरपुर

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव मोदी इंगरी वीरपुर की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 26-4-2018 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 18-1-2017 को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 - 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

[Signature]

अध्यक्ष

[Signature]

सचिव

[Signature]

गाँव सचिव एवं पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत वीरपुर
पं.स. विहीवाड़ा, जि. इंगरफार

सूचना

सूचनार्थ

दिनांक ~~16-4-2018~~ को पेसा कानून, 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अन्तर्गत गांव सभा ~~वीरपुर~~ के गांव विकास के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जायेगा। जिसमें आप की उपस्थिति अनिवार्य है।


स्थान ~~भीरी डूंगरी वीरपुर~~ समय ~~12 1/2 घण्टे~~ दिनांक ~~26-4-2018~~
एजेण्डा

1. चैकडेम निर्माण के सम्बंध में विचार।
2. तालाब निर्माण के सम्बंध में विचार।
3. रास्ता निर्माण के सम्बंध में विचार।
4. सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और उसका लाभ दिलाने के सम्बंध में विचार।
5. रास्ते के विवाद को निपटाने के सम्बंध में विचार।
6. अन्य.....


प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1 सरपंच
- 2 सचिव
- 3 एएनएम
- 4 प्राधानाध्यापक
- 5 वार्ड पंच
- 6 राशन डीलर
- 7 पटवारी
- 8 ग्राम सेवक
- 9 आंगनवाडी कार्यकर्ता

अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामाजिक संस्था जो गांव में कार्य कर रही है।


अध्यक्ष

हस्ताक्षर


सचिव

एजेंडे की सूचना

(5)

संचालने,
श्रीमान सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत... **वीरपुर**

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के
पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की
ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग
9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जल्दी फेरवदल के साथ लागू किया है।

हम लोगो ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप में स्वीकार
किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन
किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (1) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम
के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक
है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये
जा रहे हैं जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए
कार्य प्रारम्भ करावे।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम... **वीरपुर**

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् विकास अधिकारी.....
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....
4. निजी रेकार्ड

गाव विड्या निगोजन डे प्रस्ताव डी प्रतिलिपि काज किं
30-4-18 डी ग्राम पंचायत वीरपुर प्रस्ताव डी

प्रमाणित
ग्राम सचिव एवं पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत वीरपुर
पंचायत कार्यालय, वीरपुर

संयोजक
वीरपुर

सदस्य
वीरपुर
30/4/18

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

ग्राम पंचायत		पंचायत समिति		जिला पंचायत	
वीरपुर		वीरपुर		(राजस्थान)	
क्र.सं.	वर्ष	क्र.सं.	वर्ष	क्र.सं.	वर्ष
1	2018	1	2018	1	2018
2	2019	2	2019	2	2019
3	2020	3	2020	3	2020
4	2021	4	2021	4	2021
5	2022	5	2022	5	2022
6	2023	6	2023	6	2023
7	2024	7	2024	7	2024
8	2025	8	2025	8	2025
9	2026	9	2026	9	2026
10	2027	10	2027	10	2027
11	2028	11	2028	11	2028
12	2029	12	2029	12	2029
13	2030	13	2030	13	2030
14	2031	14	2031	14	2031
15	2032	15	2032	15	2032
16	2033	16	2033	16	2033
17	2034	17	2034	17	2034
18	2035	18	2035	18	2035
19	2036	19	2036	19	2036
20	2037	20	2037	20	2037
21	2038	21	2038	21	2038
22	2039	22	2039	22	2039
23	2040	23	2040	23	2040
24	2041	24	2041	24	2041
25	2042	25	2042	25	2042
26	2043	26	2043	26	2043
27	2044	27	2044	27	2044
28	2045	28	2045	28	2045
29	2046	29	2046	29	2046
30	2047	30	2047	30	2047
31	2048	31	2048	31	2048
32	2049	32	2049	32	2049
33	2050	33	2050	33	2050
34	2051	34	2051	34	2051
35	2052	35	2052	35	2052
36	2053	36	2053	36	2053
37	2054	37	2054	37	2054
38	2055	38	2055	38	2055
39	2056	39	2056	39	2056
40	2057	40	2057	40	2057
41	2058	41	2058	41	2058
42	2059	42	2059	42	2059
43	2060	43	2060	43	2060
44	2061	44	2061	44	2061
45	2062	45	2062	45	2062
46	2063	46	2063	46	2063
47	2064	47	2064	47	2064
48	2065	48	2065	48	2065
49	2066	49	2066	49	2066
50	2067	50	2067	50	2067
51	2068	51	2068	51	2068
52	2069	52	2069	52	2069
53	2070	53	2070	53	2070
54	2071	54	2071	54	2071
55	2072	55	2072	55	2072
56	2073	56	2073	56	2073
57	2074	57	2074	57	2074
58	2075	58	2075	58	2075
59	2076	59	2076	59	2076
60	2077	60	2077	60	2077
61	2078	61	2078	61	2078
62	2079	62	2079	62	2079
63	2080	63	2080	63	2080
64	2081	64	2081	64	2081
65	2082	65	2082	65	2082
66	2083	66	2083	66	2083
67	2084	67	2084	67	2084
68	2085	68	2085	68	2085
69	2086	69	2086	69	2086
70	2087	70	2087	70	2087
71	2088	71	2088	71	2088
72	2089	72	2089	72	2089
73	2090	73	2090	73	2090
74	2091	74	2091	74	2091
75	2092	75	2092	75	2092
76	2093	76	2093	76	2093
77	2094	77	2094	77	2094
78	2095	78	2095	78	2095
79	2096	79	2096	79	2096
80	2097	80	2097	80	2097
81	2098	81	2098	81	2098
82	2099	82	2099	82	2099
83	2100	83	2100	83	2100
84	2101	84	2101	84	2101
85	2102	85	2102	85	2102
86	2103	86	2103	86	2103
87	2104	87	2104	87	2104
88	2105	88	2105	88	2105
89	2106	89	2106	89	2106
90	2107	90	2107	90	2107
91	2108	91	2108	91	2108
92	2109	92	2109	92	2109
93	2110	93	2110	93	2110
94	2111	94	2111	94	2111
95	2112	95	2112	95	2112
96	2113	96	2113	96	2113
97	2114	97	2114	97	2114
98	2115	98	2115	98	2115
99	2116	99	2116	99	2116
100	2117	100	2117	100	2117
101	2118	101	2118	101	2118
102	2119	102	2119	102	2119
103	2120	103	2120	103	2120
104	2121	104	2121	104	2121
105	2122	105	2122	105	2122
106	2123	106	2123	106	2123
107	2124	107	2124	107	2124
108	2125	108	2125	108	2125
109	2126	109	2126	109	2126
110	2127	110	2127	110	2127
111	2128	111	2128	111	2128
112	2129	112	2129	112	2129
113	2130	113	2130	113	2130
114	2131	114	2131	114	2131
115	2132	115	2132	115	2132
116	2133	116	2133	116	2133
117	2134	117	2134	117	2134
118	2135	118	2135	118	2135
119	2136	119	2136	119	2136
120	2137	120	2137	120	2137
121	2138	121	2138	121	2138
122	2139	122	2139	122	2139
123	2140	123	2140	123	2140
124	2141	124	2141	124	2141
125	2142	125	2142	125	2142
126	2143	126	2143	126	2143
127	2144	127	2144	127	2144
128	2145	128	2145	128	2145
129	2146	129	2146	129	2146
130	2147	130	2147	130	2147
131	2148	131	2148	131	2148
132	2149	132	2149	132	2149
133	2150	133	2150	133	2150
134	2151	134	2151	134	2151
135	2152	135	2152	135	2152
136	2153	136	2153	136	2153
137	2154	137	2154	137	2154
138	2155	138	2155	138	2155
139	2156	139	2156	139	2156
140	2157	140	2157	140	2157
141	2158	141	2158	141	2158
142	2159	142	2159	142	2159
143	2160	143	2160	143	2160
144	2161	144	2161	144	2161
145	2162	145	2162	145	2162
146	2163	146	2163	146	2163
147	2164	147	2164	147	2164
148	2165	148	2165	148	2165
149	2166	149	2166	149	2166
150	2167	150	2167	150	2167
151	2168	151	2168	151	2168
152	2169	152	2169	152	2169
153	2170	153	2170	153	2170
154	2171	154	2171	154	2171
155	2172	155	2172	155	2172
156	2173	156	2173	156	2173
157	2174	157	2174	157	2174
158	2175	158	2175	158	2175
159	2176	159	2176	159	2176
160	2177	160	2177	160	2177
161	2178	161	2178	161	2178
162	2179	162	2179	162	2179
163	2180	163	2180	163	2180
164	2181	164	2181	164	2181
165	2182	165	2182	165	2182
166	2183	166	2183	166	2183
167	2184	167	2184	167	2184
168	2185	168	2185	168	2185
169	2186	169	2186	169	2186
170	2187	170	2187	170	2187
171	2188	171	2188	171	2188
172	2189	172	2189	172	2189
173	2190	173	2190	173	2190
174	2191	174	2191	174	2191
175	2192	175	2192	175	2192
176	2193	176	2193	176	2193
177	2194	177	2194	177	2194
178	2195	178	2195	178	2195
179	2196	179	2196	179	2196
180	2197	180	2197	180	2197
181	2198	181	2198	181	2198
182	2199	182	2199	182	2199
183	2200	183	2200	183	2200
184	2201	184	2201	184	2201
185	2202	185	2202	185	2202
186	2203	186	2203	186	2203
187	2204	187	2204	187	2204
188	2205	188	2205	188	2205
189	2206	189	2206	189	2206
190	2207	190	2207	190	2207
191	2208	191	2208	191	2208
192	2209	192	2209	192	2209
193	2210	193	2210	193	2210
194	2211	194	2211	194	2211
195	2212	195	2212	195	2212
196	2213				

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

	नाम	फोन न.
1.	हंसा / रमन रोट	9979724133
2.	केशवलाल / पूजा कटारा	9909809269
3.	बाबूलाल / हूका तबियाड	9586142682
4.	बाबूलाल गमेती	7567169539
5.	बसु / हवजी भगोरा	7742246966
6.	चंदू / थावरा	
7.	मोगा / जीवा	